International Journal of Multidisciplinary Research and Technology
ISSN 2582-7359, Peer Reviewed Journal, Impact Factor 6.325
www.ijmrtjournal.com

देश मे आवासहीन महिलाओं की चुनौतियां एवं समाधान

डॉ. सरोज नैनीवाल
सह–आचार्य समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय गुड़ा झुंझुनू

सारांश

प्राचीनकाल मे भारत मे महिलाओं को भी पुरूषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। किसी भी धार्मिक कार्य को करते समय महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य थी उनकी उपस्थिति के बिना यज्ञ और अनेक धार्मिक संस्कारों को पूर्ण किया जाना संभव नही था। समाज मे उनको पुरूषों के बराबर शिक्षा, स्वतन्त्रता, विवाह मे वर के चयन (स्वयंवर) आदि अनेको प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। यह भारतीय समाज में महिला शिक्षा और सामाजिक समानता के गहरे संबंध को उजागर करता है। शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का आधार माना गया है। काफी हद तक स्वतन्त्रता के बाद हमारे द्वारा महिला शिक्षा और साक्षरता मे वृद्धि के लिए किये गये प्रयासों के कारण महिलाओं की स्थिति मे काफी सुधार दृष्टिगोचर हुआ है परंतु समाज के सबसे हाशिए पर मौजूद वर्ग आवासहीन महिलाओं को यह अधिकार आज भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। इन महिलाओं को न केवल शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, बल्कि वे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन से भी दूर रहती हैं। आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार, दस्तावेजों की कमी और सरकारी योजनाओं तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियाँ उनकी स्थिति को और भी गंभीर बनाती हैं। इस अध्ययन में शिक्षा के माध्यम से इन महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए रात्रि विद्यालय, मोबाइल स्कूल, पहचान पत्र की सुविधा और सामाजिक संगठनों की भागीदारी जैसे ठोस उपाय सुझाए गए हैं। अध्ययन का उद्देश्य इस वर्ग की अनदेखी समस्याओं को सामने लाना और एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में ठोस नीति–निर्माण को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य शब्द : महिला शिक्षा, आवासहीन महिलाएँ, सामाजिक असमानता, महिला सशक्तिकरण, साक्षरता दर, शिक्षा का अधिकार, लैंगिक भेदभाव, सरकारी योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण एवं शहरी असमानता, रात्रि विद्यालय,असंगठित क्षेत्र,दस्तावेजी पहचान,महिला अधिकार,समावेशी विकास इत्यादि

प्रस्तावना

किसी भी समाज मे शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और विकास का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा किसी भी समाज के समग्र उत्थान में केंद्रीय भूमिका निभाती है, क्योंकि एक शिक्षित महिला न केवल स्वयं सशक्त होती है, बल्कि अपने परिवार और समुदाय को भी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करती है। इसके बावजूद हमारे समाज के अनेक वर्गों में महिलाएँ शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित हैं, जिनमें आवासहीन महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावित हैं। जो महिलाएँ स्थायी आवास से वंचित हैं, वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ जाती हैं। उनके सामने न केवल संसाधनों की कमी होती है, बल्कि सामाजिक स्वीकृति और सरकारी योजनाओं तक पहुँच भी सीमित रहती है। इस पृष्ठभूमि में, यह अध्ययन महिलाओं की शिक्षा और आवासहीन महिलाओं की स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करने का एक प्रयास है जो इस समस्या को समझने और उसके समाधान की दिशा में ठोस नीतिगत सुझाव देने का गंभीर प्रयास करता है।

देश मे महिलाओं की शिक्षा की स्थिति

देश की स्वतंत्रता के बाद से ही सरकार के द्वारा देश मे महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति मे सुधार करने के लिए काफी गंभीर प्रयास किये थे।भारत में महिला साक्षरता दर में सुधार हुआ है, लेकिन शहरी और

ग्रामीण क्षेत्रों के बीच गहरी खाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं मे साक्षरता के आंकडे यह बतलाते है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे आज भी बालिका शिक्षा में काफी हद तक रुकावटें बनी हुई हैं सामान्य रूप से ग्रामीण क्षैत्र मे बाल विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ,आर्थिक स्थिति कमजोर होना,सामाजिक परंपराएँ और लैंगिक भेदभाव,विद्यालयों की कमी या दूरी आदि अनेकों ऐसे कारण जिसके कारण से इन क्षैत्रों मे आज भी महिला साक्षरता की स्थिति को चिन्ताजनक कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आवासहीन महिलाओं में साक्षरता दर की स्थिति तो औसत महिलाओं की तुलना में और भी बहुत कम पाई जाती है। उनके लिए शिक्षा कोई प्राथमिकता नहीं रह जाती क्योंकि वे जीवनयापन की मूलभूत जरूरतों में ही उलझी रहती हैं।

आवासहीन महिलाओं की स्थिति

आवासहीन महिलाओं की स्थिति समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों में से एक को दर्शाती है। ये महिलाएँ न केवल स्थायी आवास से वंचित होती हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक अधिकारों से भी काफी दूर रहती हैं। अधिकांश आवासहीन महिलाएँ झुग्गियों, फुटपाथों, रेलवे प्लेटफार्मों, रेन बसेरा,बन्द दुकानों के बाहर, सार्वजनिक उद्यान या अस्थायी आश्रयों में जीवन यापन करती हैं, जहाँ बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होतीं। उनके पास पहचान पत्र और स्थायी पता न होने के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पातीं इनमे से कुछ महिलाये तो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ भी होती है। इन परिस्थितियों में उनका जीवन निरंतर असुरक्षा और संघर्ष से भरा होता है। शारीरिक और मानसिक हिंसा, शोषण, बीमारी और रोजगार की अनिश्चितता उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। शिक्षा की कमी के कारण वे न तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाती हैं और न ही अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाती हैं और ना ही अपना ठीक प्रकार से ईलाज करा पाती है। इस प्रकार, आवासहीन महिलाओं की स्थिति समाज में गहरी असमानता और बहिष्करण की वास्तविकता को उजागर करती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आवासहीन महिलाओं का जीवन असुरक्षा, हिंसा और भेदभाव से भरा होता है। वे अक्सर सामाजिक संरचनाओं से कट जाती हैं। उनकी स्थिति को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है

आर्थिक असुरक्षा

आर्थिक असुरक्षा आवासहीन महिलाओं की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। स्थायी आवास न होने के कारण ये महिलाएँ स्थायी रोजगार के अवसरों से वंचित रहती हैं और जीविका के लिए असंगठित क्षेत्र में कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर होती हैं। घरेलू कामकाज, सफाई, निर्माण कार्य, कबाड़ बीनना या अस्थायी श्रम जैसे कार्यों में उन्हें न तो उचित वेतन मिलता है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। इसके साथ ही काम का कोई स्थायित्व न होने से उनकी आय में निरंतर अस्थिरता बनी रहती है। यह आर्थिक असुरक्षा उन्हें गरीबी के दुष्चक्र में फंसा देती है, जिससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन होता है। शिक्षा और कौशल की कमी उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर बनाती है, जिससे वे अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना भी नहीं कर पातीं। इस प्रकार आर्थिक असुरक्षा न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित करती है, बल्कि उन्हें सामाजिक बहिष्कार और असमानता की गहराई में धकेल देती है।

शैक्षिक अभाव

शैक्षिक अभाव आवासहीन महिलाओं के जीवन में एक गहरी और स्थायी बाधा के रूप में मौजूद है। बिना स्थायी आवास और संसाधनों के अभाव में इन महिलाओं को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। अधिकांश आवासहीन परिवार रोजाना जीविका चलाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे पाते। विद्यालयों से दूरी, परिवहन की कमी, पहचान पत्रों का अभाव और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएँ उनकी शैक्षिक यात्रा को और कठिन बना देती हैं। परिणामस्वरूप, ये महिलाएँ न तो साक्षर बन पाती हैं और न ही कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं, जिससे उनके पास

सम्मानजनक रोजगार और आत्मनिर्भर जीवन के अवसर भी सीमित रह जाते हैं। शिक्षा के इस अभाव के कारण वे अपने अधिकारों से अनजान रहती हैं और सामाजिक शोषण का शिकार बन जाती हैं। इस प्रकार, शैक्षिक अभाव आवासहीन महिलाओं की गरीबी, असमानता और असुरक्षा को और गहराता है।

स्वास्थ्य संबंधी जोखिम

स्वास्थ्य संबंधी जोखिम आवासहीन महिलाओं के जीवन की एक और गंभीर और उपेक्षित समस्या है। स्थायी आवास के अभाव में ये महिलाएँ खुले में या अस्थायी झुग्गियों में रहती हैं, जहाँ स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ उन्हें संक्रमण, त्वचा रोग, श्वसन संबंधी समस्याओं, जलजनित बीमारियों और महिलाओं से जुड़ी विशेष स्वास्थ्य समस्याओं के उच्च जोखिम में डाल देती हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच न होने के कारण समय पर उपचार न मिल पाने से उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है। गर्भवती और प्रसूता आवासहीन महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि उनके पास प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की कोई सुविधा नहीं होती। कुपोषण, असुरक्षा और हिंसा उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लगातार प्रभावित करते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी जोखिम न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता को कम करते हैं बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की राह में बड़ी बाधा बनते हैं।

सामाजिक बहिष्कार

सामाजिक बहिष्कार आवासहीन महिलाओं की स्थिति को और भी जटिल बना देता है। समाज में उन्हें अक्सर "अलग" या "नीचे" वर्ग का समझा जाता है, जिसके कारण उन्हें सामाजिक मान्यता और सम्मान नहीं मिल पाता। स्थायी पता, पहचान पत्र और स्थिर सामाजिक पहचान के अभाव में वे मुख्यधारा की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों से बाहर रह जाती हैं। सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच बहुत सीमित होती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा के कारण उन्हें सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों और सामुदायिक कार्यक्रमों में भी अक्सर अलग–थलग कर दिया जाता है। यह बहिष्कार उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा की भावना को गहराई से प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप, आवासहीन महिलाएँ एक ऐसे चक्र में फँस जाती हैं जिसमें गरीबी, शिक्षा का अभाव, असुरक्षा और सामाजिक उपेक्षा एक–दूसरे को और मजबूत करते हैं। सामाजिक बहिष्कार को समाप्त किए बिना उनके सशक्तिकरण की कल्पना अधूरी रहती है।

सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ

भारत सरकार ने महिलाओं की शिक्षा और आवासहीन महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए समय–समय पर अनेक योजनाएँ और नीतियाँ लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा और सामाजिक समानता के अवसर प्रदान करना है। यद्यपि इनका लाभ सभी वर्गों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है, परंतु आवासहीन महिलाओं तक पहुँच अभी भी सीमित है। इन योजनाओं मे से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ निम्न कही जा सकती है।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना –बालिकाओं की घटती जन्म दर और शिक्षा में असमानता को दूर करने के उद्देश्य से की गई। इस योजना के तहत बालिकाओं के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने, सामाजिक जागरूकता फैलाने और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को रोकने पर जोर दिया गया।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम– इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे को आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। आवासहीन बच्चों को भी

इसका लाभ देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे नजदीकी स्कूलों में नामांकन और दस्तावेजों में लचीलापन।

- प्रधानमंत्री आवास योजना–इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण गरीबों को सस्ती और पक्की आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके तहत महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व में प्राथमिकता दी जाती है। आवासहीन महिलाओं के लिए यह योजना एक सुरक्षित जीवन और सामाजिक पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसमें आवासहीन महिलाओं के लिए आश्रय गृह स्वरोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
- महिला शक्ति केंद्र योजना–इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामुदायिक स्तर पर संस्थागत ढाँचा तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और कानूनी सहायता की सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।
- एकलव्य आवास एवं आश्रय गृह योजनाएँ–कई राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से आवासहीन महिलाओं और बच्चों के लिए अस्थायी एवं स्थायी आश्रय गृहों की व्यवस्था की गई है। इन आश्रय गृहों में उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य उन्हें सड़कों से सुरक्षित वातावरण में लाना और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना–इस योजना का लक्ष्य युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है। आवासहीन और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
- जननी सुरक्षा योजना" में गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार से "मिशन इंद्रधनुष" जैसी योजनाएँ बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण को सुनिश्चित करती हैं। तथा "निर्भया फंड" के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। इन योजनाओ के अतिरिक्त भी केन्द्र सरकार, विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारे, कुछ समाजसेवी संस्थाए और एनजीओ भी इस प्रकार की महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक व मानसिक कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाए संचालित करते हे जिसमे महिलाओं के बैक खातो मे नकद राशि का हस्तान्तरण और अन्य प्रकार की सुविधाये सम्मिलित है परन्तु इस सभी योजनओं मे से अधिकांश का लाभ इस प्रकार की महिलाओं का नही मिल पाता है क्यों की इनके पास इस प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नही होते है।

योजनाओं की प्रभावशीलता से जुड़ी चुनौतियाँ

हालांकि उपरोक्त योजनाएँ महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, परंतु आवासहीन महिलाओं के संदर्भ में इनकी प्रभावशीलता कई कारणों से सीमित है जैसे पहचान पत्र का अभाव, स्थायी पते की कमी, सामाजिक उपेक्षा, जागरूकता की कमी और संस्थागत समन्वय की कमी इत्यादि। सामान्य रूप से आवासहीन महिलाओ के समक्ष आने वाली चुनोतियों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत बतलाया जा सकता है।

- आवासहीन महिलाओं में साक्षरता दर बहुत कम पाई जाती है। लगभग बीस से पच्चीस प्रतिशत महिलाये ही मौलिक साक्षरता प्राप्त कर पाती हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भी शिक्षा में अंतर स्पष्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। शिक्षा की कमी उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा बनती है।

- अधिकांश आवासहीन महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कम वेतन वाले अस्थायी रोजगार पर निर्भर रहती हैं। स्थायी रोजगार और आय की असुरक्षा उनके जीवन को लगातार अस्थिर बनाए रखती है। आर्थिक असुरक्षा उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है।
- आवासहीन महिलाएँ अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहती हैं, जहाँ स्वच्छता, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। संक्रमण, जलजनित रोग, श्वसन रोग और महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम अधिक हैं। गर्भवती और प्रसूता महिलाओं के लिए प्रसवपूर्व और पश्चात देखभाल की कमी एक गंभीर समस्या है।
- आवासहीन महिलाएँ समाज की मुख्यधारा से अलग–थलग रह जाती हैं। स्थायी पता और पहचान पत्र न होने के कारण सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक उनकी पहुँच सीमित रहती है।
- आवासहीन महिलाओं तक इन योजनाओं का लाभ सीमित रूप से ही पहुँच पाता है। पहचान पत्र और स्थायी पते की शर्तें, जागरूकता की कमी और सामाजिक भेदभाव प्रमुख बाधाएँ हैं।
- आवासहीन महिलाओं के बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावित होते हैं। बालिकाओं के शिक्षा में पिछड़ापन, बाल विवाह और घरेलू जिम्मेदारियाँ उनकी स्थिति को और जटिल बनाती हैं।

उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि आवासहीन महिलाओं के समक्ष बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, नैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक,भोतिक,अभोतिक चुनौतियों का समाना करना पडता है जिसका प्रभाव उनकी स्थितियों पर गंभीर रूप से पड़ता है।

सुझाव और उपाय

आवासहीन महिलाओं की स्थिति सुधारने और उनकी शिक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन और विभिन्न सरकारी व गैर–सरकारी रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं

- रात्रि विद्यालय और मोबाइल स्कूल आवासहीन महिलाओं और उनके बच्चों के लिए स्थानीय स्तर पर रात्रि विद्यालय तथा मोबाइल स्कूल स्थापित किए जाएँ, ताकि शिक्षा का अवसर घर से दूर न जाने पर भी प्राप्त हो सके।
- अवसंरचना सुधाररू झुग्गी–बस्तियों और अस्थायी आवास क्षेत्रों में स्कूलों और सामुदायिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएँ। साथ ही दस्तावेज में लचीलापन, स्कूलों में नामांकन के लिए पहचान पत्र और स्थायी पते की अनिवार्यता में लचीलापन, ताकि आवासहीन बच्चों को शिक्षा से वंचित न होना पड़े।
- कौशल विकास और स्वरोजगाररू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्थानीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना व स्वरोजगार योजनाएँ सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्योगों के लिए ऋण और सहायता प्रदान करना और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना इत्यादि।
- आवासहीन महिलाओं के लिए सुरक्षित आश्रय गृह और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना तथा गर्भवती, प्रसूता और बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना व हिंसा और शोषण से सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन, कानूनी परामर्श और सामुदायिक निगरानी प्रणाली विकसित करना इत्यादि।
- स्थानीय पंचायतों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना उनमे शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति महिलाओं और समाज में

जागरूकता फैलाना तथा महिलाओं को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक मामलों में मार्गदर्शन देने के लिए स्थानीय महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना करता इत्यादि

- योजनाओं की जमीनी निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन करना व पहचान पत्र और स्थायी पते की बाधाओं को कम करना। आवासहीन महिलाओं को योजनाओं के लाभ से जोड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष पहल करना ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इससे लाभ की प्राप्ति हो सके।

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के उपायों को यदि पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाये तो हम आवासहीन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्थिति मे काफी हद तक सुधार करने के सक्षम हो सकते है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की शिक्षा और आवासहीन महिलाओं की स्थिति समाज में गहरी असमानताओं और बहिष्करण को दर्शाती है। शिक्षा के अभाव, आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और सामाजिक बहिष्कार के कारण आवासहीन महिलाएँ सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग में आती हैं। सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ उनके सशक्तिकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु इनका लाभ सीमित रूप से ही पहुँच पाता है। ठोस शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले उपायों के माध्यम से ही इन महिलाओं को मुख्यधारा में लाना संभव है। इस शोध का उद्देश्य उनके जीवन की वास्तविक कठिनाइयों को उजागर करना और नीति निर्माताओं, समाज और नागरिक संगठनों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि एक समावेशी और समान समाज का निर्माण किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थसूची:

1. National Sample Survey Office (NSSO) “Key Indicators of Social Consumption: Education in India”Ministry of Statistics and Programme Implementation] Government of India] 2023
2. NITI Aayog “Annual Report on Social Development and Women Empowerment”Government of India] 2022
3. Ministry of Women and Child Development(Government of India) (Beti BachaoBeti Padhao Scheme Guidelines)2015
4. Ministry of Housing and Urban Affairs](Government of India)Pradhan Mantri Awas Yojana: Urban and Rural Guidelines 2022
5. Government of India”Right of Children to Free and Compulsory Education Act “RTE Act, 2009
6. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship(Government of India)Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) Guidelines,2021
7. Reports from NGOs and field surveys on homeless women in India, Aashray Adhikar Abhiyan] 2022
8. World Bank”Women*s Education and Social Inclusion in India”2020